

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-169

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2022 को दिया जाना है ।

देश की ऊर्जा संबंधी मांग

*169. श्री अनिल देसाई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत क्या हैं और क्या देश की ऊर्जा संबंधित मांग को पूरा करने हेतु ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति है;
- (ख) देश में उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत क्या है;
- (ग) इन स्रोतों से ऊर्जा की कुल मांग और ऊर्जा की आपूर्ति की खपत का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) पारम्परिक स्रोतों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा में कमी होने की स्थिति से उबरने में हरित ऊर्जा किस हद तक सहायक होगी?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

“देश की ऊर्जा संबंधी मांग” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 02.08.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 169 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : देश में ऊर्जा की मांग की पूर्ति थर्मल, न्यूक्लियर, जलविद्युत और अन्य नवीकरणीय आदि जैसे विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से की जाती है। दिनांक 30.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार, विभिन्न ऊर्जा स्रोतों अर्थात् थर्मल, न्यूक्लियर और नवीकरणीय ऊर्जा (जल विद्युत सहित) से उपलब्ध स्रोत-वार उत्पादन क्षमता क्रमशः 236.06 गीगावाट (जीडब्ल्यू), 6.78 गीगावाट (जीडब्ल्यू) और 160.91 गीगावाट (जीडब्ल्यू) हैं। देश में उपलब्ध कुल क्षमता के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) आधारित संस्थापित क्षमता का प्रतिशत 39.85% है।

इस समय, देश में पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है। दिनांक 30.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार, देश की वर्तमान वर्ष 2022-23 (अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक की अवधि) के दौरान अप्रैल, 2022 माह में हुई लगभग 215.89 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की व्यस्ततम विद्युत मांग के निमित्त देश की उत्पादन क्षमता लगभग 403.76 गीगावाट (जीडब्ल्यू) थी। अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक की अवधि के लिए अखिल भारतीय ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(घ) : सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म आधारित संस्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सीईए द्वारा प्रकाशित वर्ष 2029-30 की इष्टतम उत्पादन क्षमता सम्मिश्रण संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म आधारित संस्थापित क्षमता का हिस्सा 64.29% होगा। गैर-जीवाश्म तथा पारंपरिक स्रोत मिलकर देश की विद्युत की आवश्यकता को पूरा करेंगे।

अनुबंध

"देश की ऊर्जा संबंधी मांग" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 02.08.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 169 के विवरण के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक की अवधि के लिए अखिल भारतीय ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के ब्यौरे

माह	2022-23			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
अप्रैल	134,781	132,028	2,752	2.0
मई	135,765	135,156	609	0.4
जून (*)	134,215	133,470	746	0.6
अप्रैल से जून, 2022	404,761	400,654	4107	1.0

(*)- अनंतिम

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1916

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2022 को दिया जाना है।

सौर और ताप विद्युत की एक साथ आपूर्ति किया जाना

1916. डॉ. सांतनु सेन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) चौबीसों घंटे सौर और ताप विद्युत की एक साथ आपूर्ति करने वाली बिजली उत्पादन कंपनियों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या वे 51 प्रतिशत बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पैदा कर रही हैं;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या किसी बिजली उत्पादन कम्पनी ने ग्रिड से जुड़ी परियोजनाओं से चौबीसों घंटे बिजली की खरीद करने संबंधी नीति में निर्दिष्ट सालाना और इसकी अधिकतम मांग (पीक आवर) में 85 प्रतिशत बिजली आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा नहीं करने के लिए दंड का भुगतान किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा 22 जुलाई, 2020 को 'कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं से विद्युत के अनुपूरण द्वारा ग्रिड संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की 24 घंटे खरीद' के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे और इन्हें नवंबर, 2020; फरवरी, 2021 तथा फरवरी, 2022 में संशोधित किया गया था।

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) ने किसी अन्य स्रोत अथवा स्टोरेज टैंडर से विद्युत के अनुपूरण द्वारा, ग्रिड संबद्ध आरई परियोजनाओं से 2500 मेगावाट आरटीसी विद्युत की आपूर्ति के लिए आरई विद्युत विकासकर्ताओं के चयन हेतु, चयन हेतु अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज जारी किए थे। उल्लिखित निविदा में, मैसर्स हिन्दुस्तान थर्मल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 250 मेगावाट क्षमता अवार्ड की गई थी। आरएफएस की शर्तों के अनुसार, एक बार प्रारंभ होने जाने पर यह परियोजना आरई से 51% से अधिक विद्युत का उत्पादन करेगी। परियोजना आरंभ होने के उपरांत, शास्ति के भुगतान सहित निष्पादन मानदंडों को पूरा करने में कमी से संबंधित प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान में कोई उत्पादक आरटीसी बंडल्ड सौर एवं ताप विद्युत उपलब्ध नहीं करा रहा है। अतएव, वार्षिक रूप से और व्यस्ततम समय में 85% विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करने के लिए शास्ति के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1917
जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजना में देरी

1917. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार अधिकांश विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में देरी को स्वीकार करती है जैसा कि 5 अगस्त, 2021 को ऊर्जा संबंधित विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट "विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन/पूर्ण होने में देरी" में कहा गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या सरकार के पास देरी से चल रही परियोजनाओं और देरी को कारणों के साथ-साथ इसके कारण पड़े वित्तीय बोझ के संबंध में आंकड़े हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) संविदात्मक दिशानिर्देशों, नीति और नियामक समर्थन के माध्यम से विद्युत क्षेत्र की कंपनियों की दक्षता बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विद्युत मंत्रालय ने विभाग से संबंधित ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा 5 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निर्माण/पूर्ण करने में विलंब' रिपोर्ट के निष्कर्षों और संस्तुतियों पर ध्यान दिया है और इस संबंध में, उपयुक्त कार्रवाई की है। कार्रवाई रिपोर्ट लोक सभा सचिवालय को दिनांक 04.01.2022 को प्रस्तुत की जा चुकी है।

परियोजनाओं की पूर्णता में विलंब के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:

- संविदात्मक मुद्दे
- रेलवे लाइन/रेलवे साइडिंग्स की तैयारी में कमी

- उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा आपूर्ति में विलंब
- भूमि अधिग्रहण में विलंब
- स्थानीय मुद्दों के कारण कार्य में बाधा
- मुकदमेबाजी
- डिजाइन में बदलाव के कारण विलंब
- कोयला खदानें, कोयला लिंकेज मिलने में विलंब।
- भू-गर्भीय विस्मय (जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में)

विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय (एमओपी)/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई/कदम उठाए गए हैं:

- विद्युत मंत्रालय/सीईए लगातार स्थल दौरों और विकासकर्ताओं एवं अन्य हितधारकों के साथ बातचीत के माध्यम से निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। सीईए परियोजनाओं को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए विकासकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें करता है।
- अंतर-मंत्रालयी और अन्य बकाया मुद्दों के तेजी से समाधान के लिए बाधा क्षेत्रों की पहचान करने हेतु विद्युत मंत्रालय में नियमित समीक्षा भी की जाती है।
- केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की परियोजनाओं के मामले में, परियोजना कार्यान्वयन मापदंडों/लक्ष्यों को संबंधित सीपीएसयू और विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापन में शामिल किया जाता है और विद्युत मंत्रालय/सीईए में आयोजित सीपीएसयू की तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों और अन्य बैठकों के दौरान इसकी निगरानी की जाती है।
- परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को मुद्दों को हल करने में सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों को राज्य सरकार/जिला प्रशासन के साथ उठाया जा रहा है।
- विद्युत मंत्रालय ने, विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन कर रहे सीपीएसयू/सांविधिक निकायों की संविदाओं के फलस्वरूप उभरे विवादों को समय पर निपटाने के लिए, स्वतंत्र विशेषज्ञ सुलह समिति (सीसीआईई) का गठन किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1918

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2022 को दिया जाना है।

विद्युत संकट से निपटने के लिए योजना

1918. डॉ. अमी याज्ञिक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि भारत विगत तीन वर्षों में सबसे बुरे विद्युत संकट का सामना कर रहा है, जिसके कारण व्यापक बिजली कटौती हुई है;
- (ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और क्या सरकार के पास इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस योजना है;
- (ग) देश में ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या हम ऊर्जा के किसी अन्य वैकल्पिक स्रोत को बढ़ाने के साथ-साथ तापीय संयंत्र ऊर्जा पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : इस समय, देश में पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है। दिनांक 30.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार, देश की उत्पादन क्षमता लगभग 403.76 गीगावाट (जीडब्ल्यू) थी, जबकि देश की व्यस्ततम विद्युत मांग लगभग 215.89 गीगावाट (जीडब्ल्यू) (अप्रैल, 2022) थी। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2019-20 से 2021-22 तक के दौरान वास्तविक अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति की स्थिति के ब्यौरे अनुबंध-I पर दिए गए हैं।

वर्ष 2013-14 में ऊर्जा की आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच अंतर 4.2 प्रतिशत था, जिसे वर्ष 2021-22 में 0.4 प्रतिशत तक कम किया गया है और यह सामान्यतः देश में विद्युत की उपलब्धता की अपर्याप्तता के अलावा, वितरण नेटवर्क में बाधाओं, वित्तीय बाधाओं, वाणिज्यिक कारणों, उत्पादन यूनिटों की बंदी आदि कारणों से हुआ है।

देश में विभिन्न ऊर्जा उत्पादन स्रोतों की संस्थापित क्षमता के ब्यौरे अनुबंध-II पर दिए गए हैं।

(घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा वर्ष 2029-30 के लिए किए उत्पादन विस्तार आयोजना अध्ययनों से यह पता चला है कि देश की कुल संस्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता का हिस्सा जून, 2022 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 41% से बढ़कर वर्ष 2029-30 तक 64% से अधिक होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, देश के उत्पादन सम्मिश्रण में गैर-जीवाश्म का हिस्सा, जो जून, 2022 तक की स्थिति के अनुसार 28% है, इसमें वर्ष 2029-30 तक 45% से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। इससे जीवाश्म ईंधन आधारित ताप विद्युत संयंत्रों पर निर्भरता कम होगी।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 02.08.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1918 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान वास्तविक अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का विवरण

वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट (एमयू)]			
	ऊर्जा की आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति की नहीं गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2019-20	1,291,010	1,284,444	6,566	0.5
2020-21	1,275,534	1,270,663	4,871	0.4
2021-22	1,379,812	1,374,024	5,787	0.4

राज्य सभा में दिनांक 02.08.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1918 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य-वार संस्थापित क्षमता (30 जून, 2022 तक की स्थिति के अनुसार)

आंकड़े मेगावाट में

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य	जीवाश्म ईंधन					गैर-जीवाश्म ईंधन					कुल जोड़
		कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल	कुल जीवाश्म ईंधन	कुल आरईएस (हाइड्रो सहित)					
							हाइड्रो	सोलर, पवन और अन्य आरईएस	कुल आरईएस (हाइड्रोसहित)	न्यूक्लियर	कुल गैर-जीवाश्म ईंधन	
1	2	3	4	5=1+2+3+4	6	7	8=6+7	9	10=8+9	11=5+10		
1	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	57	57	0	57	57
2	दिल्ली	0	0	2208	0	2208	0	270	270	0	270	2479
3	हरियाणा	5330	0	432	0	5762	0	1275	1275	0	1275	7037
4	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	10263	1045	11308	0	11308	11308
5	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	175	0	175	3360	193	3553	0	3553	3728
6	लदाख	0	0	0	0	0	89	47	136	0	136	136
7	पंजाब	5680	0	0	0	5680	1096	1786	2882	0	2882	8562
8	राजस्थान	8900	1580	1023	0	11503	411	19099	19510	1180	20690	32193
9	उत्तर प्रदेश	24389	0	1493	0	25882	502	4484	4985	440	5425	31307
10	उत्तराखंड	0	0	450	0	450	3975	932	4907	0	4907	5357
	उत्तरी क्षेत्र	44299	1580	5781	0	51660	19696	29188	48884	1620	50504	102164
11	छत्तीसगढ़	23688	0	0	0	23688	120	880	1000	0	1000	24688
12	गुजरात	14692	1400	7551	0	23643	1990	17425	19415	440	19855	43498
13	मध्य प्रदेश	21950	0	0	0	21950	2235	5497	7732	0	7732	29682
14	महाराष्ट्र	23856	0	3207	0	27063	3047	10779	13826	1400	15226	42289
15	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46
16	गोवा	0	0	48	0	48	0	22	22	0	22	70
	पश्चिमी क्षेत्र	84186	1400	10806	0	96392	7392	34650	42042	1840	43882	140275
17	आंध्र प्रदेश	11590	0	4899	37	16525	1610	9215	10825	0	10825	27351
18	तेलंगाना	7843	0	0	0	7843	2406	5060	7465	0	7465	15308
19	कर्नाटक	9480	0	0	25	9505	3689	15963	19652	880	20532	30037
20	केरल	0	0	534	160	694	1864	871	2735	0	2735	3429
21	तमिलनाडु	10045	3640	1027	212	14924	2178	16772	18950	2440	21390	36314
22	पुदुचुरी	0	0	33	0	33	0	36	36	0	36	68
23	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
	दक्षिणी क्षेत्र	38958	3640	6492	434	49523	11747	47920	59667	3320	62987	112510
24	बिहार	8400	0	0	0	8400	0	387	387	0	387	8787
25	झारखंड	4250	0	0	0	4250	210	97	307	0	307	4557
26	ओडिशा	9540	0	0	0	9540	2155	627	2782	0	2782	12322
27	पश्चिम बंगाल	13697	0	80	0	13777	1341	597	1938	0	1938	15715
28	सिक्किम	0	0	0	0	0	2282	60	2342	0	2342	2342
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	40	40	0	35	35	0	35	75
	पूर्वी क्षेत्र	35887	0	80	40	36007	5988	1803	7791	0	7791	43798
30	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	1115	144	1259	0	1259	1259
31	असम	750	0	597	0	1347	350	179	529	0	529	1876
32	मणिपुर	0	0	0	36	36	105	18	123	0	123	159
33	मेघालय	0	0	0	0	0	322	50	372	0	372	372
34	मिजोरम	0	0	0	0	0	60	44	104	0	104	104
35	नागालैंड	0	0	0	0	0	75	35	110	0	110	110
36	त्रिपुरा	0	0	1100	0	1100	0	32	32	0	32	1131
	उत्तरी-पूर्व क्षेत्र	750	0	1697	36	2483	2027	503	2530	0	2530	5013
	अखिल भारत	204080	6620	24856	510	236065	46850	114064	160914	6780	167694	403760

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1919

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2022 को दिया जाना है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन

1919. श्री विवेक के. तन्खा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2029-30 तक कुल उपयोग की जाने वाली ऊर्जा में से 48 प्रतिशत बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2029-30 के लिए इष्टतम उत्पादन क्षमता मिश्र के प्रक्षेपण के उद्देश्य से अध्ययन कराया गया था, जिसके परिणाम जनवरी, 2020 में प्रकाशित किए गए थे। इस अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अनुमानित विद्युत उत्पादन कुल विद्युत उत्पादन का 39% होना आकलित था।

(ख) : सरकार ने, सीओपी-26 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप, वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक आरंभ होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर तथा पवन विद्युत के अंतर्राज्यीय विक्रय हेतु अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों की छूट,
- वर्ष 2030 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्टरी की घोषणा,
- आरई विकासकर्ताओं को प्लग एंड प्ले आधार पर भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना,
- प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सोलर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम चरण-II इत्यादि जैसी स्कीमें,
- नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई उपकेंद्र क्षमता का निर्माण,
- निवेश आकर्षित करने और सुसाध्य बनाने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना,
- ग्रिड संबद्ध सोलर पीवी तथा पवन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया हेतु मानक बोली दिशा-निर्देश,
- सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा आरई उत्पादकों को समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विद्युत को साख-पत्र (एलसी) अथवा अग्रिम भुगतान पर ही डिस्पैच किया जाएगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1920

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2022 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु में एकीकृत विद्युत विकास योजना

1920. श्री पी. विल्सन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय के पास देश भर में विशेषकर तमिलनाडु में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के तहत आवंटित और संवितरित राशि का ब्यौरा है;
- (ख) क्या मंत्रालय ने देशभर में विशेषकर तमिलनाडु में आईपीडीएस योजना के तहत उप-पारेषण तथा विद्युत नेटवर्क से संबंधित आंकड़े जुटा लिए हैं; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत, 28,886 करोड़ रुपये [18089 करोड़ रुपये के भारत सरकार (जीओआई) के अनुदान सहित] मूल्य की परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं, जिनके निमित्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 17,638 करोड़ रुपये का भारत सरकार का अनुदान जारी किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत, तमिलनाडु के लिए 1051 करोड़ रुपये का भारत सरकार का अनुदान स्वीकृत किया गया था, जिसके निमित्त राज्य को 1044 करोड़ रुपये संवितरित किए जा चुके हैं। यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हुई है।

(ख) और (ग) : आईपीडीएस के अंतर्गत, मार्च, 2022 की समाप्ति समय-सीमा के भीतर देशभर में डिस्कॉमों द्वारा 546 परिमंडलों में स्वीकृत उप-पारेषण एवं वितरण सुदृढीकरण परियोजनाएं पूर्ण घोषित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, टेनजेडको, तमिलनाडु को प्रणाली सुदृढीकरण कार्य, जीआईएस उप-केंद्र तथा ईआरपी कार्य स्वीकृत किए गए थे। 522 कस्बों को कवर करते हुए 37 परिमंडलों में स्वीकृत उप-पारेषण एवं वितरण सुदृढीकरण परियोजनाओं में से, टेनजेडको द्वारा 7 जीआईएस उप-केंद्रों के कार्य तथा ईआरपी कार्य पूर्ण घोषित किए जा चुके हैं। देश में आईपीडीएस के अंतर्गत सृजित अवसंरचना के साथ-साथ तमिलनाडु राज्य में इनके कार्यान्वयन की स्थिति के ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं।

राज्य सभा में दिनांक 02.08.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1920 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में आईपीडीएस के अंतर्गत सृजित प्रमुख अवसंरचना

मर्दे (यूनिट)	उपलब्धि
नए विद्युत सब-स्टेशन (सं.)	994
नए वितरण ट्रांसफॉर्मर की संस्थापना (सं.)	60,001
एचटी लाइन (सीकेएम)	23,539
एलटी लाइन (सीकेएम)	10,409
एबी केबल (सीकेएम)	64,364
यूजी केबल (सीकेएम)	21,336
रूफ टॉप सोलर पैनल (केडब्ल्यूपी)	46,107
छोटे कस्बों को आईटी समर्थ	33 डिस्कॉम में पूर्ण घोषित
ईआरपी के लिए प्रचालनात्मक दक्षता सुधार	32 डिस्कॉम में कार्यान्वित
विश्वसनीयता सूचकांकों पर नज़र रखने के लिए आरटी-डीएस	21 डिस्कॉम में पूर्ण घोषित
स्मार्ट मीटर	8.1 लाख संस्थापित
भूमि बाधा वाले शहरी क्षेत्रों में जीआईएस सब-स्टेशन में कार्य	92 में पूर्ण घोषित किया गया।

स्रोत: पीएफसी

तमिलनाडु में आईपीडीएस के अंतर्गत निष्पादित प्रमुख कार्य

बीओक्यू	यूनिट	मात्रा
33/11 केवी नए सब-स्टेशन	सं.	68-पारंपरिक सब-स्टेशन और 7-जीआईएस सब-स्टेशन
सब-स्टेशनों का विस्तार	सं.	41
नए वितरण ट्रांसफार्मर की संस्थापना	सं.	1094
नई एचटी लाइन	सीकेएम	4266
नई एलटी लाइनें	सीकेएम	1747
यूजी केबल	सीकेएम	1747
एबी केबल	सीकेएम	153
सौर पैनल	केडब्ल्यूपी	2082

स्रोत: पीएफसी
